



प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
30प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-02 सितम्बर, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-346/लेखा/बजट/2026-27, दिनांक-18.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 30प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा में अध्ययनरत पशुचिकित्सा के छात्रों को इन्टर्नशिप भत्ता देने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-800-अन्य व्यय-06-पं0 दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-38.66 लाख (रूपये अड़तीस लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण करने हेतु वित्त अधिकारी एवं कुलपति द्वारा संयुक्त रूप से बिल पर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
5. योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 7. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
 8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कुलपति, उ०प्र०प० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा का होगा।
 10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 38,66,000 (रुपये अड़तीस लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403008000600** पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

पू०सं०-183/2026/2144(1)/सैंतीस-2-2026/001-2065228, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, उ.प्र.पं. दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
6. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।